न्यायालय सहायक कलक्टर (एसडीओ), नागौर

बइजलास श्री परसाराम आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 204/2007

वादी	बनाम	प्रतिवादी
रमली पत्नी भैरूराम जाति गुर्जर (फौत) के कायम मुकाम :— रूपचंद पुत्र सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ताउसर तहसील व जिला नागौर		छोटूराम चेला मोहनदास जाति साद निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर

वाद घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय

दिनांक :— 28/12/17

1. वादी ने उपर्युक्त विषयक वाद पेश कर निवेदन किया है कि, उसकी खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 193 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वाके मौजा ताउसर आई हुई है। यह भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ उससे पहले से वादी के खातेदारी कब्जे की रहती चली आई है। इसके साबिक (पुराना)खसरा नं. 164 थे। सम्वत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तब एकमात्र उसका व उसके पति का कब्जा खातेदारी इस पर था। मगर उसकी खातेदारी में दर्ज होने की बजाय यह गलत रूप से मोहनदास के नाम से खातेदारी में दर्ज हो गई जबकि मोहनदास नाम का कोई व्यक्ति नही रहा है और न किसी मोहनदास छोटूराम नाम के व्यक्ति ने इस भूमि पर कभी काश्त किया है। वादी ने आगे बताया कि, पूर्व में भी उसके द्वारा एक राजस्व मुकदमा संख्या 32/58 पेश किया था। जिसका निर्णय दिनांक 05.12.1961 को उपखण्ड न्यायालय द्वारा होकर यह वादग्रस्त सम्पूर्ण जमीन वादी की खातेदारी में दर्ज हो चुकी थी। लेकिन रेकर्ड में मोहनदास छोटूराम का नाम पूर्ववत चला आ रहा है। वादी ने अपने वाद में यह ओर बताया कि, वह एक अनपढ़ पर्दानशी महिला है जिसके कारण उसने आज तक राजस्व रेकर्ड के बारे मे कोई ध्यान नही दिया, लेकिन इस वाद दायरी से लगभग तीन माह पहले उसे यह ज्ञात हुआ है कि, राजस्व न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 05.12.1961 की अनुपालना में उसकी भूमि का रेकर्ड दुरूस्त नही है। इसलिए यह वाद पेश कर उसने निवेदन किया है कि, ग्राम ताउसर के साबिक खसरा नम्बर 164 जिसके हाल खसरा नम्बर 193 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा की खातेदारी एकमात्र उसके नाम दर्ज करते हुए रेकर्ड दुरूस्त करावे।
2. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी के सम्मन तामील न होने पर ऐसे सम्मन की सूचना दैनिक भास्कर समाचार पत्र के 13.01.2011 के स्थानीय संस्करण में साया करवाई गई। जिसके द्वारा यह वांछा की गई कि, प्रतिवादी उक्त वाद के संबंध में न्यायालय में असालतन/वकालतन उपस्थित आकर अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन पेश करे और जो भी दस्तावेज उनके पास हो अपने बचाव में पेश कर सकते है। इस सूचना के बावजूद भी प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नही रहने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही का निर्णय न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 14.02.2011 को लिया गया।
3. वादी की ओर से गवाह PW-2 दयाराम व PW-3 पेमाराम गवाह भागीरथराम का शपथ पत्र एवं गवाह PW-4 बालुराम के बयान करवाये गये। जो शामिल पत्रावली है।

सहायक कलक्टर
(SDO) नागौर

4. वादीनी श्रीमती रमली की मृत्यु जेर वाद हो जाने से उसके स्थान पर उसके वारिसान व कायम मुकाम रूपचंद पुत्र स्व. सुरजमल जाति गुर्जर निवासी ताउसर को दिनांक 13.05.2011 को वादी के रूप में संयोजित किया गया।
5. वादी की ओर से मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर न्यायालय हाजा द्वारा मौके रिपोर्ट मांगी गई। जो पटवारी हल्का द्वारा तहरीर की हुई है, प्राप्त हुई है। जो शामिल पत्रावली है।
6. बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील वादी द्वारा अपनी बहस में बताया कि विधिवत रूप से वादी के नाम खातेदारी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित की जा चुकी है। रेकर्ड में गलती से प्रतिवादी का नाम चला आ रहा है जबकि प्रतिवादी नाम का कोई व्यक्ति नही है। गवाह PW-2 दयाराम, PW-3 पेमाराम, PW-4 बालुराम एवं पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.03.2012 के अनुसार प्रारम्भ से ही कब्जा काश्त वादी का ही चला आ रहा है। लिहाजा वादी इस भूमि का खातेदार है। इसलिए रेकर्ड दुरूस्त करवाकर वादी का नाम रेकर्ड में दर्ज कराना उचित होने से वादी का यह वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। विद्ववान वकील वादी द्वारा बहस में बताये तर्को पर मनन किया। वाद के मध्य नजर विधि के प्रावधानो का पठन किया। वाद पत्र में स्वयं वादी यह स्वीकार कर रहे हैं, कि वादग्रस्त भूमि का फैसला न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा राजस्व वाद संख्या 32/58 मे पारित निर्णय 05.12.1961 से हो चुका है। जिसके अनुसार इस भूमि की खातेदारी मृतक वादीनी रमली के नाम घोषित हो चुकी है। नकल फैसला दिनांक 05.12.1961 को वादी द्वारा Ex-1 A के रूप पेश कर प्रदर्शित किया गया है। वादी ने वाद पत्र में खातेदारी की घोषणा का अनुतोष चाहा गया है। खातेदारी घोषणा के वाद में राज्य सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार नागौर एक आवश्यक पक्षकार होता है। वादीनी ने राज्य सरकार जरिये भूमिधारी को पक्षकार नही बनाकर वाद पत्र मे पक्षकारो का असंयोजन किया है। विधि अनुसार वादी को फैसला दिनांक 05.12.1961 की पालना हेतु इजराय प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए था। जो नही कर पुनः वाद पत्र पेश किया है। एक ही विषय वस्तु का वाद एक समकक्ष न्यायालय द्वारा निस्तारित कर दिये जाने के उपरान्त पुनः उसी विषय वस्तु को लेकर वाद पेश करने के संबंध में विधि के प्रावधान अनुमत नही करते है। परिणामतः वादी का वाद पक्षकारो के असंयोजन एवं एक ही विषयवस्तु का वाद एक समकक्ष न्यायलय द्वारा निस्तारित करने के उपरान्त पुनः दुबारा उसी विषय वस्तु को लेकर वाद पेश करने पर विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) नागौर

निर्णय आज दिनांक 22/12/17 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

सहायक कलक्टर,
(एसडीओ) नागौर

डिगरी बमूकद्दमें इब्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मुकाम नागौर

व इजलास

रमती पत्नि भेराराम जाति कुम्हार (फौत), बनाम छोटूराम चेला मोहनदास जाति साद कायम मुकाम
गोपचन्द पुत्र सुखमल जाति गुर्जर निवासी ताजसर तहसील व जि० नागौर
निवासी नागौर तहसील व जिला नागौर

दावा घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा मुकद्दमा 204/07 सन

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू

व हाजरी मिनजानिब मुद्दई व

मिनजानिब मुद्दायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

वादी का वाद पक्षकारों के अंसयोजन एवम एक ही विषय वस्तु का वाद एक समकक्ष न्यायालय द्वारा निस्तारित करने के उपरान्त पुनः दुबारा उसी विषयवस्तु को लेकर वाद पेश करने पर विधि द्वारा प्रतिबंधित होने से खारिज किया जाता है।

लीज मुबलिक बाबत

खर्चा इस मुकद्द में मय सूद व शहर फीस सदी सालाना आज की

तारीख वसूलयाबी तक को अदा करें ।

बसीब्त तेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 28/12/17 माह सन् 20

दस्तखत सहायक कलक्टर

ओहदा (SDO), नागौर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुद्दयला	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालत नामा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह साबूत			मेहनताना वकील		
मेहनताना वकील			खर्चा गवाहन		
खर्चा गवाहन			फीस कमीशनर		
फीस कमीशनर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्मीजान			मुतफरिक		
मुतफर्रिक			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

सहायक कलक्टर
(SDO), नागौर